

प्रेस नोट संख्या-20

दिनांक 11.04.2026

सराहनीय कार्य अमेठी पुलिस

“नशा मुक्त अमेठी अभियान” के अन्तर्गत थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा गांजा का क्रय-विक्रय करने वाली 01 अभियुक्ता गिरफ्तार।

कब्जे से 01 किलो 625 ग्राम गांजा, गांजा बिक्री के 5130 रुपये, 02 एन्ड्रॉइड फोन व 01 तराजू व 01 बांट बरामद।

पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री सरवणन टी. के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद अमेठी में अपराध एवं अपराधियों की धर पकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व “नशा मुक्त अमेठी अभियान” के तहत दिनांक 11.04.2026 को क्षेत्राधिकारी अमेठी श्री मनोज कुमार मिश्र के कुशल नेतृत्व में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्ता सीता पत्नी गोविन्द कोरी निवासी ग्राम ठेंहगा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र 40 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता के कब्जे से कुल 1625 ग्राम गांजा, गांजा बिक्री के 5,130 रुपये, 02 अदद एन्ड्रॉइड फोन एवं 01 तराजू व 01 कांटा बांट बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्ता ने पूछताछ में बताया कि वह 100रु, 200रु व 300 रु के बंडल बनाकर गांजा बेचने का कार्य करती है। बरामदगी व गिरफ्तारी के संबंध में थाना संग्रामपुर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-

- सीता पत्नी गोविन्द कोरी निवासी ग्राम ठेंहगा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी उम्र 40 वर्ष।

बरामदगी-

1. 01 किलो 625 ग्राम गांजा।
2. गांजा बिक्री के 5,130 रुपये।
3. 01 तराजू व 01 कांटा बांट।
4. 02 एन्ड्रॉइड फोन।

पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही -

- मु0अ0सं0 50/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री संजय कुमार सिंह थानाध्यक्ष संग्रामपुर जनपद अमेठी।
2. उ0नि0 राजेश कुमार थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
3. का0 नरेन्द्र कुमार थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
4. का0 फरमान अली थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
5. म0का0 अंजली वर्मा थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।
6. म0का0 प्रतिमा अग्रहरि थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- मु0अ0सं0 385/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना संग्रामपुर जनपद अमेठी।